प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.11.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 28.09.2024 को थाना लोनी पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों द्वारा वादी दुकान से मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.11.2024 थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. सुरेन्द्र पुत्र नौबत निवासी डी0एस0पी0 भट्टा झुग्गी चिरोड़ी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष 2. दिलशाद पुत्र बादशाह निवासी एकता गार्डन कॉलोनी ग्राम चिरोड़ी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को चेकिंग के दौरान अमन गार्डन कट से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं। ये मोबाइल फोन हमने एक बाल अपचारी द्वारा लोनी क्षेत्र की एक मोबाइल की दुकान से चोरी कराये थे जिन्हें आज हम दोनों बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर चोरी व बरामदगी के संबंध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम /पता-

1. सुरेन्द्र पुत्र नौबत निवासी डी0एस0पी0 भट्टा झुग्गी चिरोड़ी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष।
2. दिलशाद पुत्र बादशाह निवासी एकता गार्डन कॉलोनी ग्राम चिरोड़ी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार।

आज दिनांक 05.11.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त कामिल पुत्र उम्मेद निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर गाजियाबाद व अभियुक्ता पूनम रानी पत्नी कामिल निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर गाजियाबाद को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त व अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर खाली पड़े मकान/प्लाटो को धोखाधडी एवं फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार कर अन्य व्यक्तियों को बेचने जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम/पता-

1.कामिल पुत्र उम्मेद निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।

2.पूनम रानी पत्नी कामिल निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त कामिल उपरोक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धोखाधडी,आबकारी अधिनियम,गैंगस्टर आदि के कुल 12 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्ता पूनम पर थाना भोजपुर पर धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना भोजपुर पुलिस टीम।